2022/305

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांकः–पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी राजेश गोयल पुत्र स्व. भंवरलाल निवासी 2/36 शंकर कोलोनी, श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान प्रमाण पत्र, आई डी प्रूफ एवं मूल रसीद पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता श्री भंवरलाल पुत्र श्री श्योजीराम जाति अग्रवाल, निवासी 2/36 शंकर कॉलोनी, जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 29.01.2021 को वसीसत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 25.07.2022 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 29.01.2021 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान संजय गोयल पुत्र भंवरलाल एवं दीपक जैन पुत्र बद्रीप्रसाद ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री राजेंद्र ग्रोवरच ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

7/10/22

जिला पंजीयक महोदय